कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि० श्रीनगर

UTTARAKHAND

Email eenhsrinagar@gmail. Com phone/Fax No- 01346-250711

पत्रांक /12 42/ 3510 दिनांक 08/12/2017

सेवा में,

सहायक सम्भागीय अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

विषयः– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दि० 27.02.2017 को दिये गये निर्देशों के अनुपालन में लीड एजेंसी द्वारा दि० 21.11.2017 की राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर **(Speed Calming Measures)** का स्थलीय निरीक्षण कर दिये गये सुझावों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपसे दूरभाष पर हुई वार्ता के क्रम में अवगत कराना है कि रा०मा० सं० 58 के किमी० 228.400 से किमी० 328.500 तक भाग जनपद टिहरी में पड़ता है, जिसका रख–रखाव रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, श्रीनगर द्वारा किया जाता है।

इस भाग में 05 ब्लैक स्पॉट अवगत कराये गये हैं, जिनपर इस खण्ड द्वारा किये गये सुरक्षात्मक कार्यों का विवरण निम्नानुसार है–

1. तोताघाटी– क्रेश बैरियर, कॉशन बोर्ड एवं हैजार्ड लाइन लगाये गये हैं।
2. साकानीधार – क्रेश बैरियर, कॉशन बोर्ड एवं हैजार्ड लाइन लगाये गये हैं।
3. तीनधारा– क्रेश बैरियर, कॉशन बोर्ड एवं हैजार्ड लाइन लगाये गये हैं।
4. मुल्यागांव– पैरापिट बनाये गये, कॉशन बोर्ड एवं हैजार्ड लाइन लगाये गये हैं।
5. जुयालगढ़ पुलिया– स्पीड ब्रेकर, कॉशन बोर्ड एवं हैजार्ड लाइन लगाये गये हैं।

इसी क्रम में अवगत कराना है कि मा० उच्चतम न्यायालयं के निर्देशों के क्रम में गठित समिति द्वारा दि० 27.02.2017 को दिये गये निर्देशों के अनुपालन में दि० 21.11.2017 को इन स्थलों का निरीक्षण लीड ऐजन्सी द्वारा किया गया था। लीड ऐजेन्सी द्वारा इन ब्लैक् स्पॉट्स के निरीक्षण के उपरान्त कुछ सुझाव दिये गये है, जो कार्यालय को दि० 04.12.2017 को प्राप्त हुए हैं। जिन्हें तात्कालिक रूप से किये जाने वाले एवं दीर्घकालिक रूप से किये जाने वाले कार्यों को दो श्रेणी में बांटा जा सकता है।

तात्कालिक रूप से प्रत्येक ब्लैक स्पॉट्स पर दिये गये सुझावों में जैसे दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड, मार्ग पर पुनः थर्मोप्लास्टिक, हैजार्ड लाइन लगाना, कैट आई युक्त रम्बल स्ट्रीप बनाना, ब्लैक स्पॉट के दोनों ओर खड्ड साइड में सौर ऊर्जा से संचालित पीले रंग का विलंकर लगाना, मार्ग के खड्ड साइड में डेलीनेटर लगाना एवं प्रत्यके ब्लैक स्पॉट्स के दोनों ओर निर्धारित गति सीमा का बोर्ड लगाना आदि कार्यों को 31 दिसम्बर 2017 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

दीर्घकालिक रूप से कराये जाने वाले कार्यों में मार्ग के संकरा होने के कारण पहाड कटान आदि कार्यों का सम्पादन चारधाम प्रोजेक्ट/ऑलवेदर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मार्ग का चौड़ीकरण प्रस्तावित है। मार्ग के चौड़ीकरण हेतु ई०पी०सी० मोड के अन्तर्गत निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, वन विभाग द्वारा वन भूमि प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की चुकी है एवं वृक्षों के कटान की प्रक्रिया गतिमान है। वन विभाग द्वारा वृक्षों के कटान के उपरान्त मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य शीघ्र शुरू करा दिया जायेगा। लीड ऐजेन्सी द्वारा दिये गये दीर्घकालिक रूप से कराये जाने वाले कार्यों के सुझाव का अनुपालन ऑल वेदर प्रोजेक्ट में पूर्ण करा दिया जायेगा।

अतः आख्या प्रेषित है।

अधिशासी अभियन्ता
रा०मा० खण्ड,लो०नि०वि०
श्रीनगर

पत्रांक / दिनांक / /2017

प्रतिलिपि :– 1–जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2– अधीक्षण अभियन्ता, 10 वां रा०मा० वृत्त, लो०नि०वि०, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3– सहायक अभियन्ता, प्रथम एवं चतुर्थ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
रा०मा० खण्ड,लो०नि०वि०
श्रीनगर

AE IV